अध्याय–तीन

विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम, उपक्रम व संस्थाओं का विवरण

1.5 मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम

1.5.1 गठन

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट ''प्रोडक्शन फॉरस्ट्रीः मैन–मेड फॉरेस्ट्स'' (1972) के आधार पर रू. 20.00 करोड़ की अधिकृत पूंजी से मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। म0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसरण में दिनांक 1 अप्रैल 2001 को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास लि. के मध्य किया जा चुका है। 31 अक्टूबर 2006 से निगम की अधिकृत अंशपूंजी 40.00 करोड़ तथा प्रदत्त अंशपूंजी रू. 39,31,75,600 है, जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान रू. 1,38,60,000 एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रू. 37,93,15,600 है।

1.5.2 संचालक मंडल

शासन द्वारा निगम के संचालन हेतु संचालक मंडल का गठन किया गया है जिसमें माननीय अध्यक्ष के साथ–साथ अन्य सात संचालक शासन द्वारा मनोनीत किये गये हैं।

1.5.3 उद्देश्य एवं गतिविधियॉ

निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहूमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता मे सुधार लाना है। सागौन एवं बांस का व्यावसायिक रोपण निगम की मुख्य गतिविधि है। निगम विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर वन विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि पर रोपण करता है।

1.5.4 क्षेत्रीय प्रशासनिक संरचना

क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक वन विभाग के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष कार्य करते हैं जिनके अधीन संभागीय प्रबंधक पदस्थ किये जाते हैं। क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक भोपाल के अधीन 3 संभागीय प्रबंधक, क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंध जबलपुर के अधीन 4 संभागीय प्रबंधक तथा क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, सिवनी के अधीन 4 संभागीय प्रबंध कार्यरत हैं। संभागीय प्रबंधक वन विभाग के वनमंडलाधिकारी के समकक्ष क्षेत्र में कार्य करते हैं। राज्य शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर वन विकास निगम के क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष तथा संभागीय प्रबंधक को क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी के समकक्ष वैधानिक अधिकार प्रदाय कियेक गये हैं। इन इकाईयों का विवरण तालिका क्रमांक 1.39 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.39
क्षेत्रीय इकाईयाँ

क्षेत्रीय इकाईयाँ	संख्या	इकाईयाँ
क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक	03	भोपाल, जबलपुर, सिवनी
संभागीय प्रबंधक	11	खंडवा, विदिशा–रायसेन, सीहोर, रीवा–सीधी, उमरिया, कुंडम (जबलपुर), मोहगांव (मंडला), लामटा (बालाघाट), बरघाट (सिवनी), छिंदवाड़ा, रामपुर–भतौड़ी (बैतूल)

दिनांक 01.12.2015 की स्थिति में निगम के कुल स्वीकृत अमला 1283 के विरूद्ध कार्यरत संख्या 630 है।

1.5.5 लेखा

वर्ष 2013–14 के निगम के लेखे अद्यतन कर दिनांक 21.07.2015 को विधान सभा पटल पर रखे जा चुके हैं। वर्ष 2014–15 के लेखों का अंतिमिकरण कार्य प्रगति पर है। स्थापना वर्ष से ही निगम निरन्तर लाभ में चल रहा है। वर्ष 2013–14 तक संचित लाभ रू. 183.13 करोड़ है। निगम द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी पर वर्ष 2013–14 तक के लिये राज्य शासन को रू. 4515.70 लाख तथा भारत सरकार को रू.189.08 लाख लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान किया जा चुका है।

1.5.6 वृक्षारोपण

निगम द्वारा स्वयं के संसाधनों से किये गये वृक्षारोपण का विवरण तालिका क्रमांक 1.40 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.40
वर्षवार सागौन वृक्षारोपण

योजना	2011	2012	2013	2014	2015	योग
सागौन (वर्षा आधारित)	7887	7994	7812	5417	7091	36179

वन विकास निगम द्वारा द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त बजट से किये गये वृक्षारोपण की स्थिति तालिका क्रमांक 1.41 में दर्शित है। इसमें डिपॉजिट वर्क, 12 वें एवं 13 वें वित्त आयोग तथा कैम्पा आदि भी शामिल है।

तालिका क्रमांक 1.41
विविध रोपण

(क्षेत्रफल हे.में)

योजना	2011	2012	2013	2014	2015	योग
उच्च उत्पादकता सागौन रोपण योजना	–	–	–	–	4894	4894
13 वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	–	–	1043	1658		2701
केंद्रीय पादप बोर्ड, दिल्ली से अनुदान प्राप्त औषधि रोपण	221	–	–	–		221
बांस रोपण	1066	15	–	–	10	1091
मिश्रित रोपण	381	121	–	7	8	517
कैम्पा से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	3141	4450	3040	2610	–	13241
जलसंसाधन विभाग शिवपुरी की योजना	300	–	–			300
योग	**5109**	**4586**	**4083**	**4275**	**4912**	**22965**
डिपॉजिट वर्क (पौधों की संख्या लाख में)	7.04	6.65	6.19	7.02	4.45	31.35

1.5.7 वनोपज का उत्पादन

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के अधीन क्षेत्र में भी काष्ठ, बॉस एवं जलाऊ का विदोहन किया जाता है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.42 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.42
काष्ठ, बॉस एवं जलाऊ का उत्पादन एवं प्राप्त राजस्व

विवरण	वर्ष				
	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
ईमारती लकड़ी (घन मीटर)	87508	113656	125745	112867	91762
जलाऊ चट्टे (नग)	185820	178201	151911	124761	94082
बॉस (नो.टन)	3653	5304	5122	6994	4874
प्राप्त राजस्व (करोड़ रूपये)	160.00	181.49	213.24	211.77	195.48

1.5.8 श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं

श्रमिक कल्याणकारी या महिलाओं के लिये पृथक से कोई योजना निगम द्वारा नहीं चलाई जा रही है। परन्तु निगम द्वारा संचालित समस्त वानिकी कार्य बिना भेदभाव के महिला एवं पुरूष श्रमिक द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं। निगम का अधिकांश कार्यक्षेत्र आदिवासी बहुल है। निगम की स्थाई रोपणियों में वर्ष भर लगातार कार्य उपलब्ध रहता है, जिसमें से अधिकांश महिलायें कार्यरत हैं। निगम के अन्य वानिकी कार्यों में भी महिलाओं को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान किये जाते हैं। इन कार्यों में प्रतिवर्ष 40 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कार्यस्थल पर श्रमिकों का वर्ष में 6 बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। कम्पनी अधिनियम 1956 (संशोधित कम्पनी अधिनियम 2013) के प्रावधानों के अनुसार वनक्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों एवं समीपस्थ ग्रामीणों के लिये निगम के शुद्ध लाभ की 2 प्रतिशत राशि निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) के अन्तर्गत मछली पालन, प्रशिक्षण, कोसा पालन आदि कार्यों पर व्यय की जा रही है।

1.6 मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

वनोपज के संग्रहण एवं व्यापार से वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से वर्ष 1984 में मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन हुआ था। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1988 में लघु वनोपज के संग्रहण, भण्डारण एवं व्यापार से बिचौलियों को पूर्णतः समाप्त करने एवं वास्तविक संग्रहण कर्ताओं की सहकारी संस्थाओं के गठन का निर्णय लिया गया। इस निर्णय को कार्य रूप देने के लिए एक त्रि–स्तरीय संरचना का निर्माण किया गया। वर्तमान में इस संरचना के प्राथमिक स्तर पर वास्तविक संग्राहकों की सदस्यता से 1067 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, द्वितीयक स्तर पर जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में 61 जिला वनोपज सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ कार्यरत् है। वनोपज को राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत दो श्रेणियों में बांटा गया है। राष्ट्रीय वनोपज में वर्तमान में मात्र तेन्दूपत्ता, सालबीज एवं कुल्लू गोंद हैं। प्रदेश के वनवासियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज जैसे चिरोंजी, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधीय वनोपजों का निःशुल्क संग्रहण करने की छूट है। संघ की विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

1.6.1 राष्ट्रीयकृत वनोपज

तेंदूपत्ता

विगत तीन वर्षों में तेंदूपत्ता संग्रहण एवं निर्वर्तन का विवरण तालिका क्रमांक 1.43 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.43
तेंदूपत्ता संग्रहण एवं निर्वर्तन

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रु. प्रति मा. बो.)	कुल गोदामीकृत मात्रा (लाख मानक बोरा में)	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रूपये में)	अब तक विक्रय की गई मात्रा (लाख मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (करोड़ रूपये में)
1	2	3	4	5	6
2013	950	19.93	189.31	19.60	400.58
2014	950	16.99	161.41	16.58	305.56
2015	950	16.05	152.47	16.05	329.27

* वर्ष 2016 सीजन हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की गईं हैं । प्रक्रिया प्रचलित है ।

साल बीज

साल बीज संग्रहण पर म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में 2007 से 2011 (पाँच वर्ष) हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। वर्ष 2008 से प्रदेश में सालबीज संग्रहण पर लगा प्रतिबंध हटाते हुये साल बीज संग्रहण कराने हेतु शासन द्वारा निर्देश दिये गये। साल बीज संग्रहण एवं निर्वर्तन का विवरण तालिका क्रमांक 1.44 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.44
साल बीज संग्रहण एवं निर्वर्तन

संग्रहण वर्ष	संग्रहित मात्रा (क्विं. में)	निर्वर्तित मात्रा (क्विं. में)	प्राप्त विक्रय मूल्य (लाख में)	औसत विक्रय दर (रू.प्रति क्विं.)
2013	186.00	—	—	—
2014	3164.65	3047.55	35.81	1175.00
2015	11654.79	—	—	—

उपरोक्त वर्षों के निर्वतन से शेष साल बीज के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

कुल्लू गोंद

कुल्लू गोंद को 11 जिलों में राष्ट्रीकृत वनोपज घोषित कर इसका संग्रहण किया जाता है । विगत तीन वर्षों में विभागीय संग्रहण एवं निर्वर्तन का विवरण तालिका क्रमांक 1.45 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.45
कुल्लू गोंद संग्रहण एवं निर्वतन

संग्रहण वर्ष	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	निर्वर्तित मात्रा (क्विंटल में)	प्राप्त विक्रय मूल्य (लाख में)	औसत विक्रय दर (रू.प्रति क्विंटलं)
2012—2013	77.58	1.15	0.26	22500.00
2013—2014	49.22	—	—	—
2014—2015	7.00	—	—	—

1.6.2 अराष्ट्रीयकृत वनोपज

लाख

वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 से बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने के कारण लाख का विभागीय संग्रहण निरंक रहा । वर्ष 2015 में 29.92 क्विंटल लाख का संग्रहण हुआ है ।

अचार गुठली

वर्ष 2012 में बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने के कारण अचार गुठली का संग्रहण निरंक रहा। वर्ष 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3.20 क्विंटल अचार गुठली का संग्रहण किया गया । वर्ष 2014 एवं 2015 में अचार गुठली का संग्रहण बाजार मूल्य अधिक होने के कारण निरंक रहा ।

महुआ फूल

शासन निर्देशानुसार वर्ष 2012 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 625.93 क्विंटल महुआ फूल का संग्रहण कराया गया । संग्रहित मात्रा में से 285.60 क्विंटल निर्वर्तन किया जा चुका है । वर्ष 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 954.66 क्विंटल महुआ फूल का संग्रहण कराया गया । वर्ष 2014 एवं 2015 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर महुआ फूल संग्रहण निरंक रहा। वर्ष 2012 की अवशेष एवं वर्ष 2013 की संग्रहित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है ।

महुआ गुल्ली

वर्ष 2012 सीजन में महुआ गुल्ली का संग्रहण निरंक रहा है। वर्ष 2013 सीजन में 18.33 क्विंटल महुआ गुल्ली का पश्चिम सीधी जिला यूनियन में संग्रहण हुआ है। संग्रहित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2014 में महुआ गुल्ली का संग्रहण निरंक रहा है। वर्ष 2015 में 814.83 क्विंटल महुआ गुल्ली का संग्रहण किया गया है ।

हर्रा

शासन निर्देशानुसार वर्ष 2012–13 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 1115.85 क्विंटल हर्रा का संग्रहण किया गया है, वर्ष 2013–14 में 1405.04 क्विंटल हर्रा का संग्रहण किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में 163.03 क्विंटल हर्रा का संग्रहण किया गया है। संग्रहित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है ।

नीम बीज

शासन निर्देशानुसार वर्ष 2012 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 140.80 क्विंटल नीम बीज का संग्रहण किया गया है । वर्ष 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 67.15 क्विंटल नीम बीज का संग्रहण किया गया है तथा वर्ष 2014 में 1303.41 क्विंटल नीम बीज का संग्रहण किया गया है। वर्ष 2015 में नीम बीज संग्रहण निरंक रहा है । वर्ष–2013 एवं 2014 में संग्रहित नीम बीज का निर्वर्तन व उपयोग विभागीय रूप से किया गया है

करंज बीज

वर्ष 2012, 2013, 2014 में न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार मूल्य अधिक होने के कारण करंज बीज का संग्रहण निरंक रहा है । वर्ष 2015 में 68.45 क्विंटल करंज बीज का संग्रहण किया गया । संग्रहित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है ।

1.6.3 सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

वर्ष 1991 से प्रदेश के समस्त तेंदूपत्ता संग्राहकों के कल्याण हेतु एक निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना प्रारम्भ की गई । दिनांक 01.04.2013 से योजना में सम्मिलित किसी भी संग्राहक की सामान्य मृत्यु होने पर उनके नामांकित व्यक्ति को 5000/– की राशि तथा यदि कोई संग्राहक दुर्घटना के कारण आंशिक रुप से विकलांग हो जाता है तो आंशिक विकलांगता के लिए रु. 12500/– तथा यदि दुर्घटना में व्यक्ति पूर्णतः विकलांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें या उसके उत्तराधिकारी को रु. 25000/– की राशि देने का प्रावधान है। बीमा योजना लागू होने के उपरांत लाभांवित संग्राहकों की संख्या एवं बीमा निगम द्वारा किए गए भुगतान का विवरण तालिका क्रमांक–1.46 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.46
समूह जीवन बीमा योजनातर्गत प्रदाय राशि

वित्तीय वर्ष	संग्राहकों के दावेदारों की संख्या	बीमा क्लेम की प्रदाय राशि (रूपए लाख में)
1991 से 2013–14 तक	255339	9100.94
2014–15	4248	329.66
योग	**229587**	**9430.6**

1.6.4 एकलव्य शिक्षा विकास योजना

लघु वनोपज संघ द्वारा ''एकलव्य शिक्षा विकास योजना'' नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई है। इस योजना का उदेश्य वनक्षेत्रों में निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे उनके होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। इस उदेश्य की पूर्ति हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं –

योजना का लाभ प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को प्राप्त हो सकेगा। पात्रता हेतु संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि विगत पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षो में उसके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो तथा फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।

योजना हेतु उन्हीं बच्चों के प्रकरणों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड अर्जित किया हो। उनका चयन प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जावेगा। चयनित छात्र –छात्राओं को निरंतर न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करते रहना होगा, यदि उनका प्रदर्शन नीचे जाता है तो सुधार लाने के लिए अधिकतम एक अवसर प्रदान किया जा सकेगा । इस संबंध में संघ द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

योजना में शिक्षण शुल्क, पाठ्य पुस्तकों पर व्यय, छात्रावास व्यय तथा वर्ष में एक बार घर आने–जाने हेतु यात्रा व्यय दिया जाएगा, तथा सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी–

- कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं के विद्यार्थियों को 12,000 रूपये अधिकतम
- कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को 15,000 रूपये अधिकतम
- गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20,000 रूपये अधिकतम
- व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को 50,000 रूपये अधिकतम

लाभांवित हितग्राहियों का विवरण तालिका क्रमांक 1.47 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.47
योजना अंतर्गत प्रदाय छात्रवृत्ति

शैक्षणिक सत्र	लाभांवित छात्र/छात्राओं की संख्या			योग	स्वीकृत राशि (लाख रू.में)
	स्कूल शिक्षा	उच्च शिक्षा स्नातक	तकनीकी शिक्षा स्नातक		
2010–11	842	196	23	1061	46.85
2011–12	643	104	42	789	35.28
2012–13	637	114	66	817	50.21
2013–14	527	96	91	714	56.78
2014–15	582	85	81	748	61.70
योग	**3231**	**595**	**303**	**4129**	**250.82**

1.6.5 प्रोत्साहन पारिश्रमिक

वर्ष 1997 तक संघ द्वारा लघु वनोपज व्यापार का शुद्ध लाभ राज्य शासन को रायल्टी के रूप में भुगतान किया जाता रहा । संविधान के 73 वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है । प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। लघु वनोपज के अंतर्गत तेन्दूपत्ता के व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है । इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है ।

संग्रहण वर्ष 2011 से इस शुद्ध आय का 70 प्रतिशत भाग संग्राहकों को, उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नगद भुगतान करने का प्रावधान है । शेष 30 प्रतिशत में से 15 प्रतिशत भाग वनों के पुनरोत्पादन पर लगाया जा रहा है तथा 15 प्रतिशत की अवशेष राशि सहकारी समितियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी माँग अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास में दी जा रही है । यह व्यवस्था वर्ष 1998 सीजन से लागू की गई है ।

इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्षों में वितरित प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि तालिका क्रमांक1.48 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.48
वितरित प्रोत्साहन पारिश्रमिक

संग्रहण वर्ष	प्रोत्साहन पारिश्रमिक की वितरित राशि (रू. करोड़ में)
2006	27.41
2007	118.58
2008	38.73
2009	62.11
2010	82.57
2011	98.22
2012	224.55
2013	93.14
2014	58.40
कुल योग	**823.71**

1.6.6 अन्य योजनाएँ

(i) लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, (एम.एफ.पी–पार्क) बरखेड़ा पठानी

वर्ष 2004–05 में स्थापित यह केन्द्र निरन्तर प्रगति कर वर्तमान में एकल चूर्ण, मिश्रित चूर्ण, वटी, केप्सूल, आसव एवं आरिष्ट, भस्में, तेल एवं शहद प्रसंस्करण आदि विभिन्न श्रेणियों के 300 से अधिक उत्पाद तैयार कर उनका विपणन करता है। वर्ष 2010 में इस केन्द्र में आयुष विभाग, भारत शासन के माध्यम से अत्याधुनिक प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई है, जिसमें इस केन्द्र द्वारा निर्मित किए जा रहे आयुर्वेदिक उत्पादों के गुणवत्ता परीक्षण एवं नियंत्रण का कार्य किया जाता है। देश के 19 प्रदेशों के आयुष विभागों से इस केन्द्र के उत्पादों के विपणन हेतु शासकीय आदेश प्राप्त करने हेतु 04 संस्थागत अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई है । आयुर्वेद औषधियाँ हरियाणा, पंजाब, आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एवं उत्तराखण्ड राज्यों में भी विक्रय की जा रही है । विक्रय से वर्ष 2014–15 में 11.36 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ । वर्ष 2015–16 हेतु राशि रूपए 25.00 करोड़ राजस्व का

लक्ष्य निर्धारित किया गया है । विगत वर्षों में खुदरा विपणन के माध्यम से राजस्व प्राप्ति में स्थिरता बनी हुई है। वनीय स्त्रोतों (छिंदवाड़ा एवं नरसिंहपुर) से संग्रहित किए जा रहे लघु वनोपजों के स्त्रोतों का जैविक प्रमाण प्राप्त किया गया है तथा प्रसंस्करण एवं विपणन के जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किए जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। प्रसंस्करण एवं विपणन के जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किए जाने के उपरांत प्रमाणीकृत आयुर्वेदिक उत्पादों का अमेरिका/यूरोपियन देशों को निर्यात किया जाना संभव हो सकेगा। प्रदेश के 07 जिलों को (भोपाल, नरसिंहपुर, शिवपुरी, देवास, इन्दौर, खण्डवा, होशंगाबाद) में ब्ळ.ब्न्ज्ञ द्वारा 500 हे. रोपण क्षेत्रों का जैविक प्रमाणीकरण तथा प्रदेश के 3 जिलों में (विदिशा, छिंदवाड़ा एवं नरसिंहपुर) 5000 हे. संवहनीय विदोहन क्षेत्रों का जैविक प्रमाणीकरण भी पूर्व में प्राप्त किया

(ii) संजीवनी केन्द्र की स्थापना

औषधीय पौधों के विपणन के लिये भोपाल, बालाघाट, पूर्व छिन्दवाड़ा, पश्चिम छिन्दवाड़ा, देवास, शिवपुरी, औबेदुल्लागंज, कटनी, सिवनी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, रेहटी (सीहोर), होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सतना, बरखेडा पठानी (भोपाल), मैहर, इन्दौर, पन्ना, ग्वालियर, अमरकंटक, कपिलधारा, छतरपुर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा इत्यादि में "संजीवनी आयुर्वेद" के नाम से 27 विक्रय केन्द्र स्थापित हैं जिनके माध्यम से अर्द्ध तथा पूर्ण प्रसंस्कृत लघुवनोपजों तथा औषधीय उत्पाद आम जनता को विक्रय किया जाता है । विपणन किये जा रहे उत्पादों में आंवला मुरब्बा, अर्जुन चाय, शहद, गोंद, बेल, गुड़मार एवं त्रिफला चूर्ण आदि प्रमुख हैं। आवश्यकता एवं उत्पादों की उपलब्धता के आधार पर अन्य स्थानों पर भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जावेगा।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला

स्थानीय लोगों में वनौषधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा प्रदेश की विभिन्न समितियों द्वारा उत्पादित हर्बल उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने के उद्धेश्य से प्रतिवर्ष भोपाल में अन्तर्राष्ट्रीय वनमेला आयोजित किया जाता है। भोपाल में 11 दिसंबर से 15 दिसंबर–2015 तक अन्तर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से उत्तर प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, आन्ध्रप्रदेश, केरल एवं छत्तीसगढ़ तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। मेले में Contemporary Issues in NTFP Management एवं Global Prespective on NTFP Management के विषयों पर दो दिवसीय कार्यशाला का भी सफल आयोजन किया गया । मेले के तृतीय दिन क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से 105 प्रतिनिधियों ने भाग लिया एवं रूपए 1 करोड़ 60 लाख के 33 एम.ओ. यू. हस्ताक्षरित किए गए ।

(iv) संचित ऋण निधि से कम ब्याज दर पर राशि का प्रदाय

प्रदेश में लघु वनोपजों तथा औषधीय पौधों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने एवं उनके व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न जिला यूनियनों को संघ मुख्यालय से ऋण निधि से 4 प्रतिशत के ब्याज दर पर रूपये 614.94 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। उपरोक्त ब्याज दर पर ही प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों को मोटर साईकिल क्रय हेतु वास्तविक क्रय मूल्य अथवा अधिकतम रू.50000/–ऋण देने का प्रावधान किया गया है जिसके तहत वर्ष 2015–16 में 11 मोटर साईकिल ऋण के रूप में 07 समिति प्रबंधकों को रूपये 2,99,651/– की राशि विमुक्त की गई।

(v) वन विकास एवं अधोसंरचना विकास कार्य

वर्ष 2012–13 से 2015 –16 में तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त लाभांश की राशि से अंतःस्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण के अर्न्तगत ग्रामों की अद्योसरंचना विकास एवं

वन विकास के कार्यो हेतु विभिन्न जिला यूनियनों से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत किये गये, जिनका विवरण तालिका क्रमांक 1.49 एवं तालिका क्रमांक 1.50 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.49
वन विकास कार्य

कमांक	वर्ष	क्षेत्र हेक्टेयर में	व्यय राशि रू. लाख में
1	2012—13	531.92	203.94
2	2013—14	230.00	338.27
3	2014—15	935 बाह्य स्थलीय 1184 अंतः स्थलीय	737.89 301.61
4	2015—16	285 बाह्य स्थलीय 540 अंतः स्थलीय	117.30 123.80
योग		1981.92 बाह्य स्थलीय 1724.00 अंतः स्थलीय	1397.40 बाह्य स्थलीय 425.41 अंतः स्थलीय

तालिका क्रमांक 1.50
अद्योसंरचना विकास कार्य

कमांक	वर्ष	कार्य	राशि (रूपए लाख में)
1	2014—15	रोड, रपटा, स्टॉप डेम, पुलिया, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक भवन, बाउन्ड्री वाल निर्माण, विद्युतीकरण एवं आवास व्यवस्था	1518.14
2	2015—16	रोड, रपटा, पुलिया, बाउन्ड्री वाल निर्माण, स्टॉप डेम, पेयजल व्यवस्था एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	579.18
योग			**2097.33**

(vi) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली की सहायता से सचांलित परियोजनाएँ

Conceptualizing designing and Operationalising a Herbal Garden की योजना लागत राशि रू 44.00 लाख की मार्च—2012 में स्वीकृत की गई थी।उक्त योजना में संघ को राशि रू. 44.00 लाख प्राप्त हुए हैं । उक्त योजना भोपाल में कियान्वित की जा रही है। योजना में जिला यूनियन भोपाल को रू. 30.80 लाख प्रदाय किये गये हैं। एनएमपीबी से प्राप्त राशि रू 30.80 लाख के उपयोग का प्रमाण पत्र नई दिल्ली को अक्टूबर—2015 में भेजा गया है।

Livelihood of rural Communities in Naxalite Affected area of Balaghat District in M.P के अन्तर्गत राशि रू. 162.55 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई थी । इस परियोजना में संघ को कुल राशि रू. 162.25 लाख तीन किश्तों मे प्राप्त हुई है । इस योजना के अर्न्तगत EX-Situ Conservation & In Situ Conservation के तहत औषधीय वृक्षारोपण तथा ग्रामीणों की सहभागिता रोजगार सृजन के घटक मुख्य थे। इस परियोजना में माह अप्रैल—2015 तक राशि रू 113.77 लाख की व्यय की जा चुकी है, कार्य प्रगति पर है।

In-Situ & Ex-situ Conservation of Medicinal Plants in the Forests of Madhya Pradesh के तहत पॉच मॉडल्स हेतु राशि रू 959.57 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसकी प्रथम किश्त की राशि रू 383.96 लाख जनवरी–2016 में स्वीकृत की गई है। इस परियोजना में In-situ Conservation में ओल्ड एम.पी.सी.ए एवं नये एम.पी.सी.ए. के अन्तर्गत 2000–2000 हेक्ट. क्षेत्र में कार्य किया जाना है, इसके अतिरिक्त Ex-situ Conservation में 500 हेक्ट ए.एन.आर. माडल, ए.आर. मिक्सड प्लान्टेशन 150 हेक्ट. एवं हर्बल रोपण 100 हेक्ट. में किया जाना है।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को औषधीय पौधों के मूल्य संवर्धन, गोदामीकरण एवं विपणन हेतु सहयोग की योजना राशि रूपये 580.00 लाख वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक की तीन वर्षों हेतु स्वीकृत है। उक्त योजना में बोर्ड से माह सिम्तबर–2013 में रूपये 232.00 लाख प्राप्त हुए है। उक्त योजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण प्रसंस्करण संयंत्र, सोलर ड्रायर, विपणन, सहयोग, प्रशिक्षण, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित हैं। उक्त योजना के अंतर्गत 12 जिला यूनियनों की 20 इकाइयों में गोदाम निर्माण, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु रूपये 200.00 लाख प्रदाय किए गये हैं, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 21 दिसंबर 2015 को द्वितीय किश्त की राशि रूपए 174.00 लाख प्राप्त हो गई है, जिससे संयत्र स्थापित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(vii) भारतीय जनजाति कल्याण मंत्रालय से अनुदान

भारतीय जनजाति कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से ग्रांट–इन–एड के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में लघु वनोपज के क्रियान्वयन हेतु रूपये 350.00 लाख प्राप्त हुए थे। उक्त योजना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के महुआ फूल के संग्रहण के अंतर्गत 3000 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने, कुल्लू गोंद संग्रहण हेतु 1800 ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने ,जिला यूनियन पश्चिम सीधी में बहुउद्देशीय संग्रहण एवं प्रसंस्करण केन्द्र का निर्माण, एम.एफ.पी.पार्क, बरखेड़ा पठानी, भोपाल में स्थित प्रसंस्करण केन्द्र की सुविधाओं का उन्नयन, शहद उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण, जिला यूनियन देवास/खण्डवा में नागर मोथा संयंत्र का विकास, जिला यूनियन खरगोन में नीम तेलधानी की स्थापना एवं जिला यूनियन पश्चिम सीधी, सतना, उत्तर सिवनी, एवं दक्षिण सिवनी में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की स्थापना इत्यादि गतिविधियां क्रियान्वयन में हैं। वर्ष 2015–16 में उपरोक्त योजना के अंतर्गत उपरोक्त कार्यों में रू. 276. 95 लाख व्यय हुआ।

(viii) लघु वनोपज का संसाधन सर्वेक्षण

राज्य शासन द्वारा स्वीकृत औषधीय एवं सुगंधित पौध विकास हेतु मध्य प्रदेश की रणनीति के तहत प्रदेश के शासकीय वन क्षेत्रों में औषधीय एवं सुगंधित पौधों एवं अकाष्ठीय वनोपज पौधों की वर्तमान स्थिति, उत्पादन एवं उत्पादक क्षमता का आंकलन किया जा रहा है। उक्त सर्वेक्षण संवहनीय उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु बीट स्तर पर किया जा रहा है। अकाष्ठीय लघु वनोपजों के संसाधन सर्वेक्षण एवं सूक्ष्म योजना निर्माण की कार्यविधि के विकास के प्रथम चरण में राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर से प्रत्येक वन मण्डल (जिला यूनियन) में पदस्थ उप प्रबंधक/उप वनमंडलाधिकारी को ''प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण'' (Training of Trainers) माह जुलाई 2011 में दिलाया गया है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा प्रदेश के 62 वनमण्डलों के उप प्रबंधक/उप वनमण्डलाधिकारियों को 3 चरणों में ''प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण'' दिया गया हैं। इस सम्पूर्ण योजना पर लगभग 180. 00 लाख रूपये के व्यय का अनुमान है। उक्त सर्वेक्षण हेतु जिला यूनियनों को रूपये 119. 82 लाख प्रदाय किये गये हैं । 44 वन मण्डलों के आंकड़े प्राप्त हो गए है, जो कि राज्य वन अनुसंधान संस्थान को उपलब्ध कराए गए है, शेष कार्य प्रचलित है ।

1.7 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है। संस्थान के संचालक मंडल में 15 सदस्य हैं। संस्थान में संचालक का पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के स्तर का है।

मुख्य गतिविधियाँ

वर्ष 2014–15 के दौरान संस्थान की अनुसंधान गतिविधियाँ विभिन्न विषयों पर केन्द्रित रही है। इनमें से कुछ प्रमुख विषय निम्नानुसार हैः–

- औषधीय महत्व के जंगली कंद तथा राईजोम प्रजाति के पौधों का बाह्य स्थलीय संरक्षण तथा उनके ऋतुजैविकी (Phenology) वृद्धि का अध्ययन।
- म.प्र. के गोंद तथा राल उत्पादन करने वाले वृक्षों के पारंपरिक वनस्पति (Ethno-botanical) के ज्ञान का प्रलेख्यीकरण।
- म.प्र.के नीमच और रतलाम जिले के मालवा पर्यावरणीय क्षेत्र के स्थानीय आदिवासी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का प्रलेख्यीकरण।
- वन्यजीव प्रबंधन के तारतम्य में बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के घास के मैदानों के पारिस्थतिकीय का अध्ययन।
- म.प्र के शहडोल वनवृत्त में जन भागीदारी के माध्यम से वन औषधीय पौधों तथा अकाष्ठीय वनोपज के सतत प्रबंधन हेतु तकनीकी का विकास।
- म.प्र. के बालाघाट जिले में मेसर्स जे. के. मिनरल्स द्वारा किए गए उत्खनन् से वनस्पति तथा वन्यजीव पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।
- म.प्र. के कूनो–पालपुर अभ्यारण्य के लिए सतत् अजीविका आधारित प्रबंध योजना का निर्माण।
- जैव प्रौद्योगिकी तकनीक के माध्यम से संकटापन्न औषधीय पौध प्रजातियों की कीमोप्रोफाईलिंग तथा वृद्धि तकनीक से बायोएक्टिव कम्पाउन्ड का निर्धारण।
- म.प्र. के वनों में धावड़ा, बीजा, आचार में लगने वाले रोगों का एकीकृत प्रबंधन।
- म.प्र. के संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणियों तथा उनके रहवास के सतत् प्रबंधन एवं विकास हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
- म.प्र. के पन्ना जिले में वन्यप्राणी संरक्षण के तारतम्य में पारधी समुदाय के बच्चों का पुर्नवास का मूल्यांकन।

अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति

वर्ष के दौरान संस्थान में चल रहीं अनुसंधान परियोजनाओं में से 22 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया, 38 परियोजनाऐं एवं 15 नियमित गतिविधियां प्रचलित हैं तथा 09 नवीन परियोजनायें प्रारंभ की गई।

अनुश्रवण और मूल्यांकन

संस्थान द्वारा निम्न अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्य लिये गये हैं :–

- वन विकास अभिकरणों के माध्यम से वर्ष 2012–13 में कराये गये कार्यों का मूल्यांकन।
- लाख के कीटों का आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण हेतु नेटवर्क परियोजन।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण सह कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इनमें से मुख्य कार्यशालायें निम्नानुसार है :–

- संस्थान की विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा विकसित तकनीकों का म.प्र. वन विभाग के क्षेत्रीय अमले हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- वन विभाग के क्षेत्रीय अमले हेतु बीज तकनीक एवं बीज उत्पादन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण सह प्रदर्शन कार्यक्रम।

प्रकाशन तथा अन्य गतिविधियाँ

संस्थान द्वारा त्रैमासिक पत्रिकाओं 'वानिकी संदेश' तथा 'वन–धन' का प्रकाशन भी किया जाता है। समय–समय पर अनुसंधान द्वारा विकसित तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु किताबें, तकनीकी बुलेटिन, ब्रोशर एवं पेम्पलेट्स का प्रकाशन किया जाता है।

संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवाएँ

संस्थान द्वारा विभिन्न अनुसंधान सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं। इनमें से मुख्यतः निम्नानुसार है:–

- औषधियॉ पौधों की कृषि एवं प्रसंस्करण एवं तकनीक।
- वृक्षारोपण एवं कृषि तकनीक।
- अकाष्ठीय वनोपजों के बाजार की जानकारी का प्रचार–प्रसार।
- पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का निर्माण।
- वन संसाधन का आंकलन।
- उत्पादन एवं आयतन तालिका का निर्माण।
- जैवविविधता एवं वनस्पति का मूल्यांकन
- वन्यजीव तथा काष्ठ के नमूनों का फोरेन्सिक अध्ययन
- बीज प्रमाणीकरण।
- मृदा विश्लेषण।
- उत्तम गुणवत्ता के बीजों एवं रोपण सामग्री का प्रदाय।
- तकनीकी मैन्युअल एवं प्रचार प्रसार हेतु पठन सामग्री इत्यादि तैयार करना।

संस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

इस वित्तीय वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की गई।

- सागौन के उच्च गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति के उद्देश्य से राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा वन क्षेत्रों में स्थित उच्च गुणवत्ता के वृक्षों से बीज मित्रों के माध्यम से वृहद स्तर पर सागौन बीज संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। संग्रहण के पश्चात् बीज का प्रसंसकरण कर खास तैयार की गई मशीन से उपचारित किया जा रहा है। उपचारित बीज में आवश्यकतानुसार फफूँदनाशक दवा मिलाकर भण्डारित किया गया है। यह अत्यंत गौरव की बात है कि संस्थान द्वारा एकत्रित बीज जिसे एम.पी.टीक के नाम से ट्रेड मार्क दिया जाकर पंजीकृत किया जा चुका है। संस्थान एक आई.एस.ओ. प्रमाणीकृत संस्था है, जिसमें एम.पी.टीक के उच्च गुणवत्ता के उपचारित बीज को जीवन क्षमता प्रतिशत (Viability percent) का परीक्षण वैज्ञानिक देख रेख में बीज प्रमाणीकरण प्रयोगशाला में किया जाकर वन विभाग एवं उपयोगकर्ता हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में राज्य एवं राज्य के बाहर से एम.पी.टीक की मांग संस्थान को प्राप्त हो रही है एवं संस्थान इसकी आपूर्ति करने के लिए तत्पर है।
- राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को Quality Control of India, New Delhi द्वारा NABET के अंतर्गत सिंचाई, बांध परियोजनाओं तथा खनन् के क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव के

मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय प्रबंध योजना तैयार करने की मान्यता प्रदान की गई, जो कि प्रदेश में किसी भी संस्थान को प्रथम बार प्राप्त हुई है।

- राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को International Organization of Standardization (ISO) 9001 : 2008 के अंतर्गत Quality Management System Procedure अपनाने बाबत् प्रमाणित किया गया।
- संस्थान में नवीन वन्यप्राणी शाखा की स्थापना की गई। इस शाखा द्वारा प्रदेश में बाघों की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाते हुए गणना तथा वन्यप्राणी प्रबंधन में अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावेगा।

तेंदूपत्ता संग्राहकों का महासम्मेलन 07 फरवरी 2016

1.8 मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

राज्य शासन द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2005 से किया गया जिसे अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2014 से वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन से संबद्ध किया गया है। बोर्ड की मुख्य भूमिका जैवविविधता का संरक्षण, उसके संघटकों का पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित एवं सम्यक वितरण सुनिश्चित करना है।

1.8.1 बोर्ड का संचालक मण्डल

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष, पदेन सदस्यगण एवं अशासकीय (राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 28.06.2012 अनुसार) सदस्यगण परिशिष्ट–18 अनुसार हैं।

बोर्ड का कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

1.8.2 बोर्ड की गतिविधियां

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की गतिविधियों को निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत संचालित की जा रही है –

1. जैव संसाधनों का संरक्षण एवं संवहनीय उपयोग
2. अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण
3. जैवविविधता प्रबंधन समितियों का सक्रियकरण
4. जैवसंसाधनों से उदभुत लाभ का प्रभाजन कार्यवाही
5. प्रशिक्षण एवं जागरुकता

1.8.3 वर्ष 2015–16 की उपलब्धियॉ

जैव संसाधनों का संरक्षण एवं संवहनीय उपयोग – बोर्ड द्वारा प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं एवं जैवविविधता प्रबंधन समिति के माध्यम से जैव संसाधनों का अंतः स्थलीय, बाह्य स्थलीय संरक्षण एवं संवहनीय उपयोग हेतु कार्य संपादित किये जा रहे है। वर्ष 2015–16 में निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जा रही है –

अ. अंतः स्थलीय संरक्षण – 14 गतिविधियों का संचालन

- कृषि विविधता – परम्परागत देशी अनाज, अलसी, कठिया गेहूँ, देशी मूंग, ज्वार (जुंडी) इत्यादि का संरक्षण सम्मिलित है।
- जलीय विविधता – बटागुर कछुआ (जो कि केवल चम्बल क्षेत्र में है) तथा महाशीर (मछली) का संरक्षण का कार्य किया जा रहा है।

बटागुर कछुआ का अंतःस्थलीय संरक्षण
राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य

- वानस्पतिक विविधता – बुढ़ी चंदेरी (जिला अशोकनगर) में 150 हेक्टयर क्षेत्र को संरक्षित कर विभिन्न औषधीय पौधों का संरक्षण, सिवनी में चिरौंजी, चंबल क्षेत्र में गुग्गल एवं बनखेड़ी में कुसुम का संरक्षण कार्य प्रगति पर है।

गुग्गल की नर्सरी की स्थापना तथा गुग्गल का रोपण
(सुजाग्रती समाज सेवी संस्था, मुरैना)

- इसके अतिरिक्त क्योंटिगढ़ी (जिला रीवा) तथा पतालाकोट (जिला छिंदवाड़ा) को जैवविविधता विरासत स्थल घोषित करने के संबंध कार्यवाही की जा रही है।

ब. **बाह्य स्थलीय संरक्षण** –19 गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वन विभाग के माध्यम से की जाने वाली गतिविधियों का विवरण तालिका क्रमांक 1.51 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.51

बाह्य स्थलीय संरक्षण गतिविधियॉ

क्र.	कार्य	स्थल का नाम
1.	जैवविविधता का संरक्षण	माता टेकरी, देवास
2.	विलुप्त हो रही वृक्ष प्रजातियों के पौधे तैयार करना	धूमा (बंजारी वन रोपणी), सिवनी
3.	जैवविविधता पार्क का जीर्णोधार	अमरकंटक, शहडोल
4.	बैम्बू सेटम (Bamboosetum) की स्थापना हेतु बैम्बू मिशन को सहयोग।	लहारपुर, कटारा हिल्स, भोपाल

- इसके अतिरिक्त गुग्गल, चिरौंजी, कड़कनाथ (मुर्गी), जमुनापारी (बकरी), साहीवाल (गाय) नस्ल का संरक्षण तथा सिवनी एवं पिथौराबाद (जिला सतना) में देशी/स्थानीय किस्मों के बीज बैंक की स्थापना की गयी है।

कड़कनाथ का संरक्षण जैवविविधता प्रबंधन समिति मालथौन जिला सागर

साहीवाल नस्ल का संरक्षण जैवविविधत प्रबंधन समिति पलिया पिपरिया, होशंगाबाद

स. **संवहनीय उपयोग** – 12 गतिविधियों का संचालन, जिसमें नाडेप एवं वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन, घरेलू उपयोग एवं मध्यान्ह भोजन (आंगनवाड़ी एवं स्कूल में) हेतु उन्नत चूल्हा प्रदाय

कार्यक्रम, पचमढ़ी क्षेत्र में पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े के बैग को बढ़ावा देना तथा बी.एम.सी., मटकुली द्वारा लेंटाना फर्नीचर निर्माण कार्य प्रमुख है।

अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण – बोर्ड द्वारा जैवविविधता के विभिन्न पहलूओं पर अनुसंधान, शोध एवं दस्तावेजीकरण संस्थाओं, महाविद्यालयों, गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में कृषि एवं उद्यानिकी विविधता (धान, आम, मक्का एवं लघु धान्यों (Minor Millets) की पारम्परिक किस्मों का एकत्रीकरण एवं संवर्धन) वानस्पतिक विविधता(डिजिटल हर्बेरियम तैयार करना) प्राणी विविधता (दुर्लभ, संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे गिद्ध, केरेकल, सारसक्रेन का अध्ययन) आदि से संबंधित कुल 40 परियोजना (लघु एवं वृहद) संचालित की जा रही हैं। बोर्ड द्वारा वर्ष 2015–16 में 202 लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

जैवविविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) का सक्रियकरण – मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के स्थानीय निकायों (समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत) में जैवविविधता प्रबंधन समितियों के पुनर्गठन का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 382 जैवविविधता प्रबंधन समिति को प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से सक्रिय किया जा रहा है।

प्रशिक्षण एवं जागरुकता – जन मानस में जैवविविधता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.52 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.52
प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

क्र.	कार्यक्रम	उद्देश्य	लाभान्वित वर्ग
अ. प्रशिक्षण कार्यक्रम			
1.	''जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन'' विषयक दो दिवसीय प्रशिक्षण	1. वन अधिकारियों को जैवविविधता अधिनियम एवं नियम से अवगत कराने हेतु	50 – मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी
		2. मैदानी वन अधिकारियों को जैवविविधता अधिनियम एवं नियम से अवगत कराने हेतु	50 – उप वनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी
		3. वन रक्षकों को जैवविविधता के प्रति जागरूकता हेतु	प्रदेश के सभी वन विद्यालय में लगभग 1100 वनरक्षक हेतु
2.	''जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन'' विषयक प्रशिक्षण	विभागीय संस्थाओं के माध्यम से (पंचायत, कृषि, पशुपालन इत्यादि प्रशिक्षण संस्थानों) जैवविविधता प्रशिक्षण	मैदानी अधिकारियों को जैवविविधता के प्रति जागरूक करना
ब. जागरूकता कार्यक्रम			
1.	अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस (22 मई)	प्रदेश के सभी जिलों में जैवविविधता दिवस पर कार्यक्रम (गोष्ठी, सेमीनार, कार्यशाला) आयोजन हेतु सहायता।	प्रदेश के सभी जिलों में मनाया गया।
2.	मोगली उत्सव	स्कूली छात्र–छात्राओं में जैवविविधता जागरूकता हेतु।	मोगली उत्सव 2015 का आयोजन दिनांक 10, 11 एवं 12 अक्टूबर 2015 को पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी

क्र.	कार्यक्रम	उद्देश्य	लाभान्वित वर्ग
			में किया गया।
3.	श्रेष्ठ जैवविविधता उद्यान प्रतियोगिता	प्रदेश के सभी जिलों में श्रेष्ठ उद्यान का चयन एवं चयनितों को पुरस्कार।	प्रदेश के सभी 51 जिलों में जैवविविधता संरक्षण के प्रचार–प्रसार हेतु आयोजन किया गया।
4.	श्रेष्ठ फोटोग्राफी प्रतियोगिता	प्रदेश में श्रेष्ठ जैवविविधता विषयक फोटोग्राफी हेतु पुरस्कार।	प्रदेश में जैवविविधता संरक्षण के प्रचार–प्रसार हेतु आयोजन किया गया।
5.	जैवविविधता जागरूकता कार्यक्रम	स्कूल, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थाओं इत्यादि में जैवविविधता संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन।	लगभग 5000 छात्र–छात्राओं लाभान्वित हुये।
6.	रेडियो के माध्यम से कार्यक्रम	आम नागरिकों हेतु आकाशवाणी से ''चलती रहे जिंदगी'' एवं ''नीम की छांव'' कार्यक्रमों का प्रसारण।	प्रदेश के सभी जिलों में प्रसारण।
7.	प्रकाशन एवं लघु फिल्म	त्रैमासिक न्यूज लेटर, जैवविविधता विषयक साहित्य, लघु फिल्म इत्यादि का प्रकाशन	छात्र–छात्राओं, बी.एम.सी. सदस्यों, मैदानी अमले हेतु प्रकाशन।
8.	मेले एवं प्रदर्शनी	जैवविविधता प्रदर्शनी	विभिन्न मेलों में लगभग 2 लाख लाभान्वित।

जैवविविधता दिवस 2015 – उपस्थित प्रतिभागी तथा उद्यान प्रतियोगिता के विजेता

नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल

मोगली बाल उत्सव 2015 –जैवविविधता जागरूकता हेतु गतिविधि पेंच नेशनल पार्क सिवनी

1.8.4 पुरस्कार

1. श्रेष्ठ जैवविविधता उद्यान प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष प्रत्येक जिला स्तर पर किया जाता है जिसमे विजेता को प्रशस्ति पत्र, ट्राफी एवं रूपये 5,000/– का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
2. श्रेष्ठ फोटोग्राफी प्रतियोगिता – बोर्ड द्वारा प्रतियोगिता अंतर्गत राशि रूपये 25,000/– (प्रथम), 20,000/– (द्वितीय), 15,000/– (तृतीय) का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
3. मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को लघुवनोपज संघ द्वारा भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हर्बल्स मेला, 2015 में उत्कृष्ट प्रदर्शनी हेतु पुरस्कृत किया गया।

1.8.5 प्रकाशन

1. पुस्तकः ''जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन''

   ''जैवविविधता प्रबंधन समितियां – ''संरक्षण की दिशा में बढते कदम'' ''प्रतिबिम्ब बोर्ड के दस वर्ष''
2. ''धान संरक्षण की कहानी'' ब्रोशर

1.9 मध्य प्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12.07.2005 को म.प्र.सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया है। बोर्ड की साधारण सभा में माननीय वन मंत्री जी सभापति हैं तथा कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव, वन हैं।

बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की वन नीति 2005 की कंडिका 3.16 ईकोपर्यटन नीति निर्देशों के अनुसार वन मनोरंजन ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है।

बोर्ड को बजट अनुदान, राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों की विकास निधि की 10 प्रतिशत अंश राशि एवं अन्य संस्थाओं से परियोजना विशिष्ट स्वीकृत राशि प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में बोर्ड को रू. 28.25 करोड़ बजट अनुदान के अंतर्गत स्वीकृत किये गये हैं। बोर्ड के पास वर्तमान में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त हुई कुल रू.19.02 करोड़ राशि उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा वर्तमान में संचालित की जा रही प्रमुख योजनाएँ निम्नानुसार हैं:–

1. **बफर ईकोपर्यटन** – म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के प्रमुख टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में ईकोपर्यटन सुविधा एवं गतिविधि विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत

के अद्वितीय अवसर प्राप्त हो सकेंगे। यह क्षेत्र में सुधार के साथ–साथ आस पास के ग्रामीणों के लिये एक अतिरिक्त आजीविका के अवसर भी प्रदान करेगा। बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व के तीन जोन – मानपुर, पनपथा एवं धमोखर बफर जोन में दिनाँक 21.03.2015 से पर्यटकों के लिये सफारी गतिविधि संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत विगत 9 माह में लगभग 1700 वाहन जा चुके हैं। बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर लगभग रू.1.50 करोड़ की लागत से पर्यटक अधोसंरचनाएँ (ट्री–हट, ट्री–हाउस, पैगोडा, मचान, कैफेटेरिया) निविदा के माध्यम से निर्मित की जा रही हैं। पेंच टाइगर रिजर्व के रूखड़–सकाटा एवं खवासा बफर क्षेत्र में ईकोपर्यटन विकास हेतु रू. 2.60 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है।

2. **टाइगर इन्टरप्रिटेशन एरिया** – म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड की नवीन पहल के अंतर्गत टाईगर सुरक्षा, कोर क्षेत्र में पर्यटन के दबाब एवं मानव–बाघ द्वंद की स्थिति को कम करने के उद्देश्य से बाँधवगढ़ एवं पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में टाईगर इंटरप्रिटेशन क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पार्क के बफर क्षेत्र में लगभग 500 हे0 क्षेत्र को चैनलिंक फेंसिंग घेर कर प्राकृतिक वातावरण विकसित किया जावेगा, जिसमें समस्याग्रस्त बाघों को छोड़ा जाना प्रस्तावित है।

3. **स्वदेश दर्शन (वाइल्ड लाईफ टूरिज्म सर्किट)** – भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को ''स्वदेश दर्शन'' योजना के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म सर्किट के विकास हेतु म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया तथा प्रदेश के टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाईफ सर्किट विकास हेतु कुल राशि रू. 92.25 करोड़ स्वीकृत की गई है। उक्त स्वीकृत योजना के अंतर्गत पन्ना, संजय, कान्हा, बाँधवगढ़, पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों एवं मुकुन्दपुर में हैबीटेट विकास एवं पर्यटक अधोसंरचना विकास का कार्य किया जावेगा। इस योजना में स्थानीय ग्रामीणों को सीधे पर्यटन से जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जिससे उन्हें वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

   उक्त प्रोजेक्ट के अंतर्गत चिन्हित सर्किट में आने वाले टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र व अन्य स्थलों पर कैफेटेरिया, मचान, लॉग हट, एम्फीथियेटर, चैनलिंक फेंसिंग, कैम्पस विकास इत्यादि कार्य कराये जावेंगे।

4. **अनुभूति (ईको–कैम्प)** – बोर्ड द्वारा स्कूली विद्यार्थियों में वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने हेतु सम्पूर्ण प्रदेश के समस्त जिलों में ईको–कैम्प का आयोजन वनमंडलों के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2015 में बोर्ड द्वारा प्रत्येक वन वृत्त स्तर पर विशेषज्ञों की मास्टर ट्रेनर की टीम तैयार की गई है। इन 16 वन वृत्तों के कुल 60 मास्टर ट्रेनर्स को प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्वस् में ईकोपर्यटन, प्रकृति परिचय, कैम्प संचालन का विधिवत् प्रशिक्षण दिलाया गया है। प्रत्येक वनमंडल द्वारा इन्हीं मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से स्थानीय स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करते हुए स्कूली विद्यार्थियों के लिये एकदिवसीय अनुभूति (ईको–कैम्प) कार्यक्रम आयोजित किया गया है। माह दिसम्बर–2015 अंत तक कुल 50 वनमण्डलों में से 37 वनमण्डल द्वारा ईको–कैम्प का आयोजन सफलतापूर्वक कराया जा चुका है।

5. निजी **निवेश के माध्यम से बिगड़े वनों का सुधार एवं ईकोपर्यटन विकास** –म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा निजी भागीदारी के द्वारा Dispersal Tiger के लिये सुरक्षित निवास बनाने, बिगड़े जंगलों को सुधारने और ईकोपर्यटन का विकास करने के उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका मॉडल आधारित वन विहीन वनों को निजी निवेश के माध्यम से हरा–भरा करने हेतु पहल कर रहा है। निजी निवेश के माध्यम से बिगड़े वनों का सुधार एवं ईकोपर्यटन विकास की पहल हेतु निजी निवेशकों के साथ चर्चा इसमें भारतीय वन अधिनियम ओर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की मौजूदा कानूनी ढांचे के निमित 2000–3000 हेक्टे.बिगड़े वन क्षेत्र को निजी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस संदर्भ में नई दिल्ली में

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनाँक 24.08.2015 को बैठक आयोजित की गई, जिसमें उक्त प्रोजेक्ट की Financial Feasibility एवं Pilot Project Proposal कंसल्टेंसी के माध्यम से तैयार करने हेतु निर्णय लिया गया है।

1.10 मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन

मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 03 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय बांस मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये किया गया है। वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय बांस मिशन से रूपये 684.33 लाख तथा राज्य योजना आयोग से रूपये 2.9 करोड़ की राशि प्रदेश में बांस आधारित उद्यमिता एवं विकास योजनाओं के लिये प्राप्त हुई है। इन कार्यो में नर्सरी विकास, बिगड़े बांस वनों का सुधार, बांस रोपण, बांस शिल्पकारों का दक्षता निर्माण, कार्यशाला तथा बांस बाजार का आयोजन सम्मिलित है।

वर्ष 2015–16 में मध्यप्रदेश राज्य बॉस मिशन संबंधित उल्लेखनीय कार्य निम्नानुसार हैः–

1. **राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बॉस मिशन** – वर्ष 2015–16 में बॉस मिशन योजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में किया गया है जिससे 60 प्रतिशत राशि केन्द्र शासन तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन से प्रावधानित है । योजना का नाम अब राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बॉस मिशन किया गया है। वर्ष 2015–16 में भारत सरकार (छटड) द्वारा 1014 लाख की बॉस योजना का अनुमोदन किया गया है।

2. **संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम बॉस मिशन की भागीदारी** – संयुक्त राष्ट्र संघ में बॉस विषय पर दिनांक 05–06 मई 2015 को न्यूर्यक में आयोजित सेमीनार (फोरम) में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि के साथ मध्यप्रदेश राज्य बॉस मिशन में भाग लिया। राज्य बांस मिशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

3. **बॉस निवेशक सम्मेलन**– देश में पहली बार बेम्बू सेक्टर के लिये पृथक इनवेस्टर्स मीट भोपाल में दिनांक 20 से 22 जून को आयोजित किया गया

————————————